राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 204/14 जिला उदयपुर

उनवान: प्रदीप गुप्ता, प्रो०, मिनरल्स केमिकल्स लिमिटेड उदयपुर / राज० सरकार जरिये उपपंजीयक - मावली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
4.2.16	SB श्री [illegible] मेहरा, [illegible] वकील प्रार्थी श्री कंवर दानिश एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री जमील जई उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री L. S. माथुर एड. उपस्थित। निगरानी पर बहस उभयपक्ष सुनी। मिसल निर्णयार्थ आरक्षित रखी गई। [signature] [stamp] राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	
4.02.16	SB श्री [illegible] मेहरा, [illegible] प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कंवर दानिश एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री जमील जई की प्रकरण में समयावधि के बिन्दु पर बहस सुनी गयी। कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय दिनांक 26.12.05 को पारित किया गया जबकि प्रार्थी ने यह निगरानी लगभग 9 वर्ष पश्चात 11.02.14 को प्रस्तुत की। यदि प्रार्थी का यह तर्क मान भी लिया जावे कि समाचार पत्र में दिनांक 25.11.05 को प्रार्थी का नाम सूचनार्थ प्रकाशित नहीं हुआ था। अतः आदेश एकतरफा एवं बिना सुने पारित किया गया है। तो भी प्रार्थी ने उपपंजीयक, मावली के वसूली नोटिस दिनांक 19.1.2010 का रजिस्टर्ड एडी पत्र दिनांक 07.07.2010 से जवाब भेजा एवं लिखा कि उसके द्वारा क्रय की गयी "बीमार औद्योगिक इकाई" पर राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.1.1988 एवं अधिसूचना दिनांक 07.09.92 के अनुसार मुद्रांक कर देय नहीं है। उप पंजीयक, मावली के वसूली नोटिस में प्रार्थी के विरुद्ध कलेक्टर (मुद्रांक) उदयपुर द्वारा प्रकरण सं. 236/2001 में पारित निर्णय दिनांक एवं बकाया राशि की पूर्ण विगत अंकित है। अतः प्रार्थी को दिनांक 19.1.10 / 07.07.10 को उसके विरुद्ध पारित आदेश का ज्ञान हो चुका था। उसके उपरान्त भी अत्यधिक लम्बी अवधि 3 वर्ष 5 माह पश्चात प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र समयावधि पार सिद्ध है। अतः समयावधि के बिन्दु पर ही प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। [signature] 04.02.16 [stamp] राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	